मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
कार्यालय वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन (म.प्र.)
उद्‌यन मार्ग, दमदमा, उज्जैन (म.प्र.)–456010

E-Mail : ccf.ujn@mp.gov.in

Ph. (0734) 2512101
Fax (0734) 2512102

क्रमांक/मा.चि./2021/ 2618 उज्जैन, दिनांक 03/04/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

विषयः– जिला नीमच के अन्तर्गत गंगाबावड़ी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 36.00 वनभूमि जल संसाधन संभाग को उपयोग पर देने बाबद।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रं./एफ–3/82/2018/10–11/16/393 दिनांक 23.01.21

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन मे निवेदन है कि वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच ने उनके पत्र क्रं./माचि/2021/1949 दिनांक 24–03–2021 से गंगाबावड़ी जलाशय परियोजना मे प्रभावित होने वाली 36.00 हे. वनभूमि का संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित किया है, जो आपकी ओर अवलोकनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

03/04/21

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

G:\I\Ashu`s Documents\DM111\2010\2021\Letters 2021.doc

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, नीमच(म0प्र0)

पुरानी पुलिस लाईन के सामने, महू–नसीराबाद रोड़, नीमच

Phone No. (07423) 226605, E-mail- dfot.nmh@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2021 / 1949 नीमच, दिनांक– 24/03/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(भू–प्रबंध)
भोपाल, म.प्र.

विषयः– जिला नीमच के अंतर्गत गंगाबावड़ी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 36.00 वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / एफ–3 / 82 / 2018 / 10–11 / 16 / 393 दिनांक 23.01.2021 एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी मनासा का पृष्ठांकन क्रमांक / 2021 / 402 दिनांक 16.03.2021.

विषयांकित प्रकरण में निवेदन हैं, कि संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार गंगाबावड़ी जलाशय परियोजना में प्रभावित होने वाली 36.00 हे. वनभूमि का स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 28.01.2021 को राजस्व विभाग एवं जलसंसाधन विभाग के अमले के साथ संयुक्त रूप से किया गया। स्थल निरीक्षण में निम्नानुसार स्थिति परिलक्षित हुई हैं:–

01. वनक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 287,290,293 की आरक्षित वन लाईन से जल संसाधन विभाग द्वारा F.T.L. की मार्किंग की गई। जिसमें जो जलभराव प्रस्तावित हैं, की जी.पी.एस. रीडिंग ली गई। जिसके अनुसार वनक्षेत्र का रकबा 39.84 हे. होना पाया गया हैं, जिसकी सीमा लाईन को नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया हैं।
02. उपरोक्तानुसार रकबा 39.84 हे. में से म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्र. 391 भोपाल दिनांक 12.11.1990 अनुसार रकबा 0.441 हे. वनभूमि का डीनोटिफिकेशन होना पाया गया हैं। जिसको कुल वनक्षेत्र 39.84 हे. भूमि में से घटाने पर शेष बची वनभूमि 39.399 हे. होती हैं।
03. उपरोक्तानुसार रकबा 39.84 हे. में से तहसीलदार मनासा के पत्र क्रमांक 274 / रीडर–1 / 2021 दिनांक 09.02.2021 अनुसार 08 पट्टेदारों को राजस्व विभाग / जलसंसाधन विभाग द्वारा रकबा 9.198 हे. का अधिग्रहण कर मुआवजा वितरित किया जा चुका हैं, लेकिन उक्त सर्वे नं. एवं रकबा (0.441 हे. के अतिरिक्त) का म.प्र. शासन वनविभाग से डिनोटिफिकेशन नहीं होना पाया गया हैं।

संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन मय सहपत्रों सहित पत्र के संलग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(क्षितिज कुमार)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

पृष्ठा.क्र. / मा.चि. / 2021 / 1950 **नीमच, दिनांक :– 24/03/2021**

प्रतिलिपिः–

मुख्य वनसंरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में मय सहपत्रों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

मा.चि.
मु.व.सं.
31/3/2021